न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 77/2015 (जी.सी.एम.एस 2015/00187)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. अमरीक सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. सतनाम सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	2. निन्द सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर
3. सर्वजीत कौर उर्फ वीरा पुत्री हजूर सिंह पत्नी सुखा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 12 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	3. कुका सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर
	4. कुलवन्त सिंह पुत्र सौदागर सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर
	5. भजन कौर पुत्री तारा सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
	6. धर्म कौर पुत्री तारा सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
	7. राम सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
	8. रिछपाल कौर उर्फ पालो पुत्री हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर
	9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरनपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 23.11.2015

उपस्थितः 1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादीगण

—निर्णय—— दिनांकः 20.10.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2011 ता 2014 के खाता संख्या 21 के मु0नं0 15 के किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक के 18–18 बिस्वा एवं किला नं0 6 ता 25 प्रत्येक सालम–सालम कुल 24 बीघा 10 बिस्वा नहरी भूमि यानि 490 हिस्सा तारा सिंह पुत्र धना सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तारा सिंह पुत्र धन्ना सिंह ने अपनी उक्त भूमि में से अपनी मु0नं0 15 के किला नं0 7, 8 सालम–सालम कुल 2 बीघा नहरी भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 16.05.1960 की रूह से हरबन्स सिंह– बलवन्त सिंह– चन्ना सिंह पिसरान सुच्चा सिंह के पक्ष में कर दिया। तत्पश्चात् हरबन्स सिंह– बलवन्त सिंह– चन्ना सिंह पिसरान सुच्चा सिंह द्वारा तारा सिंह से खरीदशुदा उक्त मु0नं0 15 के किला नं0 7, 8 सालम–सालम नहरी भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.06.1968 की रूह से वादीगण के पिता हजूर सिंह पुत्र मान सिंह को करके कब्जा भूमि वादीगण के पिता हजूर पुत्र मान सिंह को मय पानी सौंप दिया। वादीगण का पिता उक्त भूमि पर जीवनपर्यन्त शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहा। वादीगण के पिता हजूर सिंह की मृत्यु के पश्चात् वादीगण उक्त भूमि पर आज तक लगातार शांतिपूर्वक बेरोक टोक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के पिता हजूर सिंह ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा की रूह से हरबन्स सिंह– बलवन्त सिंह– चन्ना सिंह पिसरान सुच्चा सिंह से खरीद की थी। हरबन्स सिंह– बलवन्त सिंह– चन्ना सिंह पिसरान सुच्चा सिंह द्वारा उक्त भूमि तारा सिंह पुत्र धन्ना सिंह से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा की रूह से खरीद की थी। हरबन्स सिंह– बलवन्त सिंह– चन्ना सिंह पिसरान सुच्चा सिंह ने उक्त भूमि खरीद करने के पश्चात् उक्त भूमि का इन्तकाल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अपने नाम दर्ज नही करवाया और उक्त भूमि वादीगण के पिता हजूर सिंह को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा की रूह से बेचान कर दी। वादीगण का पिता भोला भाला अनपढ व्यक्ति था जिसे कानून का ज्ञान नही था। इसलिए वादी के पिता ने उक्त भूमि का इन्तकाल हरबन्स सिंह– बलवन्त सिंह– चन्ना सिंह पिसरान सुच्चा सिंह के पक्ष में दर्ज हुये बिना ही उनसे भूमि खरीद कर ली। वादीगण के पिता को कानून का ज्ञान ना होने के कारण वादीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज ना करवाया जा सका। इस प्रकार वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त हो गये। वादीगण को भी कानून का ज्ञान ना होने के कारण वादीगण द्वारा भी उक्त भूमि का इन्तकाल बैयनामा की रूह से अपने नाम दर्ज ना करवाया जा सका। मु0नं0 15 के किला नं0 7, 8 सालम–सालम नहरी भूमि का बैयनामाजात की रूह से हरबन्स सिंह बलवन्त सिंह– चन्ना सिंह पिसरान सुच्चा सिंह के पक्ष में इन्तकाल ना दर्ज होने के कारण और ना ही वादीगण के पिता के नाम इन्तकाल दर्ज ना होने के कारण उक्त भूमि तारा सिंह पुत्र धन्ना सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही। इस प्रकार तारा सिंह पुत्र धन्ना सिंह के नाम 490 हिस्सा यानि 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज रही। जिसमें वादीगण के पिता को बेचानशुदा 2 बीघा भूमि भी शामिल है। इसके पश्चात् तारा सिंह पुत्र धन्ना सिंह ने वादीगण को बेचानशुदा भूमि के अलावा 1 बीघा भूमि सकतर सिंह पुत्र झण्डा सिंह को बेचान कर दी और 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि सुच्चा सिंह–अर्जन सिंह पिसरान लाल सिंह को बेचान कर दी। उक्त बेचानशुदा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का इन्तकाल सकतर सिंह पुत्र झण्डा सिंह व सुच्चा सिंह–अर्जन सिंह पिसरान लाल सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। इसके पश्चात् तारा सिंह पुत्र धन्ना सिंह के नाम 360 हिस्सा यानि 18 बीघा भूमि दर्ज हुई। चूंकि वादीगण के पिता को बेचानशुदा 2 बीघा भूमि का इंतकाल वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ना होने के कारण वादीगण को पिता को बेचानशुदा उक्त मु0नं0 15 के किला नं0 7, 8 सालम–सालम नहरी भूमि भी राजस्व रिकार्ड में तारा सिंह पुत्र धन्ना सिंह के नाम दर्ज रही। इस प्रकार तारा सिंह पुत्र धन्ना सिंह के नाम कुल 360 हिस्सा यानि 18 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही। इसी प्रकार आगामी जमाबन्दियों में भी 360 हिस्सा यानि 18 बीघा भूमि तारा सिंह पुत्र धन्ना सिंह के नाम आगामी जमाबंदियों में दर्ज होती रही। तारा सिंह पुत्र धन्ना सिंह की मृत्यु के पश्चात् उक्त 360 हिस्सा यानि 18 बीघा भूमि मृतक तारा सिंह के वारिसान/प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम जरिये विरास्तन इंतकाल संख्या 49 दिनांक 01.02.1983 की रूह से दर्ज हो गयी। जिससे वादीगण के पिता को बेचानशुदा मु0नं0 15 के किला नं0 7, 8 सालम–सालम कुल 2 बीघा नहरी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम गलती से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी। इंतकाल संख्या 49 दिनांक 01.02.1983 विधि विरूद्व होनें के कारण वादीगण के अधिकारो पर बेअसर है। जो काबिले निरस्ती के है। उक्त 360 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने उक्त भूमि में से वादीगण के पिता को बेचानशुदा उक्त दो बीघा भूमि छोडकर शेष तमाम भूमि अन्यत्र बेचान कर दी। वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 4 कलवन्त सिंह के नाम 0.126 है0 भूमि और शेष प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम 0.396 है0 भूमि यानि कुल 0.522 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें से 0.506 है0 भूमि यानि 2 बीघा भूमि वादीगण के पिता को बेचानशुदा भूमि है। वादीगण ने बैयनामाजात की रूह से उक्त वादगत भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाने के लिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर द्वारा पटवारी हल्का को जांच कर रिपोर्ट करने के आदेश दिये गये। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि "उपरोक्त 0.522 है0 रकबा पूर्व में तारा सिंह पुत्र धन्ना सिंह के नाम दर्ज था। जिसमे से दो बीघा भूमि का बैयनामा हरबन्स सिंह– बलवन्त सिंह– चन्ना सिंह पिसरान सुच्चा सिंह के पक्ष में दिनांक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

16.05.1960 को तारा सिंह द्वारा किया गया। जिसके पश्चात हरबन्स सिंह बलवन्त सिंह– चन्ना सिंह पिसरान सुच्चा सिंह ने उक्त रकबा को बेचान हजूर सिंह पुत्र मान सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ एफ को जरिये बैयनामा दिनांक 06.06.1968 की रूह से कर दिया। वर्तमान में उक्त बेचानशुदा का रकबा तारा सिंह के वारिसान के नाम दर्ज है।" प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज दा बीघा रकबा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार भी वादीगण के पिता हजूर सिंह को बेचान शुदा रकबा है। वादीगण का पिता हजूर सिंह फोत हो चुका है वादीगण हजूर सिंह के जायज व कानूनी वारिस है। इसलिए उक्त वादगत दा बीघा रकबा बैयनामाजात की रूह से वादीगण के नाम खातेदारी घोषित किया जाना विधि सम्मत है जिसमें कोई विधिक बाधा नहीं है। वादीगण ने उक्त रकबा का इन्तकाल वादीगण के पक्ष में दर्ज करवाने के लिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर के समक्ष चाराजोही की तो तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर द्वारा श्रीमान जी के न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी। इसलिए श्रीमान जी के न्यायालय में दावा पेश करना जरूरी हो गया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 28/30 के मु0नं0 15 के 6.069 है0 नहरी भूमि एवं मु0नं0 59/17 के 0.126 है0 खाला, व मु0नं0 59/18 के 0.127 है0 खाला कुल 6.322 है0 नहरी मय खाल भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज कुल 0.522 है0 भूमि में से 0.506 है0 भूमि बैयनामाजात दिनांक 16.05.1960 एवं दिनांक 06.06.1968 की रूह से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से कलमजन की जाकर उक्त बैयनामाजात की रूह से वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे व उक्त भूमि के संबध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के द्वारा मौखिक अवगत करवाया कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की मृत्यू हो चुकी है। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 सीपीसी पेश किया। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के मृत्यू के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10ए सीपीसी पेश किया। सामिल मिसल किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय से निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के वारिसान की तलवी जरिए अखबार प्रकाशन से करवाए जाने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के वारिसान की तलवी राजस्थान व पंजाब के दैनिक अखबार प्रकाशन से करवाए जाने के आदेश दिए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के वारिसान की तलवी के अखबार की प्रति पेश की सामिल मिसल की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के वारिसान के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण के द्वारा वादपत्र में वर्णित किया है कि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 वादीगण के भाई बहिन है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की तलवी की आवश्यकता नहीं है। जवाब स्टेट पेश नहीं होने से जवाब स्टेट बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण पत्रावली में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। साक्ष्यवादी में गवाह अमरीक सिंह व सर्वजीत कौर उर्फ वीरा उपस्थित आये। शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किये। सामिल मिसल किए गए। प्रदर्श–1 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2011 ता 2014 के खाता संख्या 41 की प्रति, प्रदर्श–2 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2015 ता 2018 के खाता संख्या 56 की प्रति, प्रदर्श–3 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2024 ता 2027 के खाता संख्या 18 की प्रति, प्रदर्श–4 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2027 ता 2036 के खाता संख्या 16 की मिराल बन्दोबस्त की प्रति, प्रदर्श–5 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2043 ता 2046 के खाता संख्या 4/16 की प्रति, प्रदर्श–6 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2047 ता 2050 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

खाता संख्या 4 की प्रति, प्रदर्श–7 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2059 ता 2062 के खाता संख्या 21 की प्रति, प्रदर्श–8 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 28/30 की प्रति, प्रदर्श–9 रिपोर्ट पटवारी हल्का बडोपल की प्रति, प्रदर्श–10 से प्रदर्श–13 सिंचाई विभाग द्वारा जारी गिरदावरी की प्रतियां, प्रदर्श–14 बैयनामा दिनांक 06.06.1968, प्रदर्श 14ए बैयनामा दिनांक 06.06 1968 की छायाप्रति, प्रदर्शित करवाए। जो शामिल मिसल है।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र व दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा प्रदर्श–1 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत ता 2014 के खाता संख्या 41 की प्रति, प्रदर्श 2 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2015 ता 2018 के खाता संख्या 56 की प्रति, प्रदर्श 3 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2024 ता 2027 के खाता संख्या 18 की प्रति, प्रदर्श 4 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2027 ता 2036 के खाता संख्या 16 की मिसल बन्दोबस्त की प्रति, प्रदर्श–5 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2043 ता 2046 के खाता संख्या 4/16 की प्रति, प्रदर्श–6 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2047 ता 2050 के खाता संख्या 4 की प्रति, प्रदर्श–7 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2059 ता 2062 के खाता संख्या 21 की प्रति, प्रदर्श–8 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 28/30 की प्रति, प्रदर्श 9 रिपोर्ट पटवारी हल्का बडोपल की प्रति, प्रदर्श–10 से प्रदर्श–13 सिंचाई विभाग द्वारा जारी गिरदावरी की प्रतियां, प्रदर्श–14ए बैयनामा दिनांक 06.06.1968 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 06.06.1968 बहक हजूर सिंह पुत्र मान सिंह की रूह से वादीगण को चक 2 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 7 व 8 कुल 2 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किये जाने बाबत निवेदन किया है। प्रदर्श–9 रिपोर्ट पटवारी हल्का बडोपल के मुताबिक चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 70 के खाता संख्या 28 के मुरब्बा नम्बर 15, 59/17, 59/18 की कुल 6.322 हैक्टेयर भूमि में से अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह, निन्द्र सिंह, कुक्का सिंह पिसरान सौदागर सिंह पुत्र तारा सिंह, भजन कौर, धर्म कौर पुत्रियां तारा सिंह 0.396 हैक्टेयर, कलवन्त सिंह पुत्र तारा सिंह 0.126 हैक्टेयर रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा पूर्व में तारा सिंह पुत्र धन्ना सिंह के नाम दर्ज था। जिसमे से दो बीघा भूमि का बैयनामा हरबन्स सिंह– बलवन्त सिंह– चन्ना सिंह पिसरान सुच्चा सिंह के पक्ष में दिनांक 16.05.1960 को तारा सिंह द्वारा किया गया। जिसके पश्चात् हरबन्स सिंह– बलवन्त सिंह– चन्ना सिंह पिसरान सुच्चा सिंह ने उक्त रकबा का बेचान हजूर सिंह पुत्र मान सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ एफ को जरिये बैयनामा दिनांक 06.06.1968 की रूह से कर दिया। उक्त बैयनामा उपपंजीयक श्रीकरणपुर से पंजीबद्व है। वर्तमान में उक्त बेचानशुदा रकबा तारा सिंह के वारिसान के नाम दर्ज है। अतः वाद पत्र वादीगण, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 2 एफ एफ के इन्तकाल संख्या 49 दिनांक 01.02.1983 को मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 7 व 8 तक निरस्त किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2067–70 के खाता संख्या 28/30 में अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह, निन्द्र सिंह, कुक्का सिंह पिसरान सौदागर सिंह पुत्र तारा सिंह, भजन कौर, धर्म कौर पुत्रियां तारा सिंह के नाम दर्ज 0.396 हैक्टेयर ब.हि.ब भूमि व कलवन्त सिंह पुत्र तारा सिंह के नाम दर्ज 0.126 हैक्टेयर कुल 0.522 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण अगरीक सिंह पुत्र हजूर सिंह, सतनाम सिंह पुत्र हजूर सिंह, सर्वजीत कौर उर्फ वीरा व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

राम सिंह पुत्र हजूर सिंह, रिछपाल कौर उर्फ पालो पुत्री हजूर सिंह को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 06.06.1968 बहक हजूर सिंह पुत्र मान सिंह की रूह से चक 2 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 7 व 8 कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)

अमरीक सिंह आदि बनाम अमरजीत सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **88, 188 आरटीए** मुकदमा नम्बर **77/2015**

निर्णय दिनांक : 20.10.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड़ पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 2 एफ एफ के इन्तकाल संख्या 49 दिनांक 01.02.1983 को मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 7 व 8 का निरस्त किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2067-70 के खाता संख्या 28/30 में अमरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह, निन्द्र सिंह, कुक्का सिंह पिसरान सौदागर सिंह पुत्र तारा सिंह, भजन कौर, धर्म कौर पुत्रियां तारा सिंह के नाम दर्ज 0.396 हैक्टेयर ब.हि.ब भूमि व कलवन्त सिंह पुत्र तारा सिंह के नाम दर्ज 0.126 हैक्टेयर कुल 0.522 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण अमरीक सिंह पुत्र हजूर सिंह, सतनाम सिंह पुत्र हजूर सिंह, सर्वजीत कौर उर्फ वीरा व प्रतिवादी राम सिंह पुत्र हजूर सिंह, रिछपाल कौर उर्फ पालो पुत्री हजूर सिंह को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 06.06.1968 वहक हजूर सिंह पुत्र मान सिंह की रूह से चक 2 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 7 व 8 कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोशित किया जाता है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 27.10.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	
स्टाम्प डयूटी	100	00	मेहनताना वकील पर	00	
योग	104	00	योग	02	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 27.10.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/533

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) राजस्थान